राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–33 / ऑक्यू थे0 / सीधी भर्ती / एफ–एम–76 / 2024 / 108 दिनांकः 14/03/2024

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7 (12) भर्ती 'ख' / Occu.Thei/Med & Health/2021-22/635 दिनांक 27.02.2024 द्वारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर चयनित अभ्यर्थियों की प्राप्त सूची के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफडी / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में पद की पे मैट्रिक्स लेवल–11 में नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 26500 / – प्रतिमाह पर 2 वर्ष के प्रोबेशन काल (परिवीक्षा अवधि) पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान में किया जाता है :–

गैर अनुसूचित क्षेत्र

S.NO.	Merit no	CANDIDATE NAME	FATHER' NAME	GEND.	DOB	CAT	PLACE OF POSTING
1	1	LAKSHITA JAYA	GOVIND PRASAD SHARMA	F	03.06.1997	GEN	J.L.N. MEDICAL COLLEGE AJMER
2	2	MAYUR RAJ SINGH THAKUR	HARI SINGH THAKUR	M	04.01.1997	GEN	J.L.N. MEDICAL COLLEGE AJMER
3	3	NIDHI AGARWAL	SANJAY AGARWAL	F	21.01.1998	GEN	J.L.N. MEDICAL COLLEGE AJMER
4	4	RADHA RANI GOURISARIYA	SANTOSH KUMAR GOURISARIYA	F	27.10.1981	GEN	DR. S.N. MEDICAL COLLEGE, JODHPUR
5	5	MAHAKALE VIKI MAHADEORAO	MAHADEVRAO Z.MAHAKAL	M	19.01.1993	GEN	DR. S.N. MEDICAL COLLEGE, JODHPUR
6	7	PRATIBHA BISHNOI	OM PRAKASH BISHNOI	F	07.03.1984	OBC	S.P. MEDICAL COLLEGE, BIKANER
7	9	DEEPAK KUMAR SHRIVASTAV	SOHANLAL SHRIVASTAV	M	24.05.1992	GEN	DR. S.N. MEDICAL COLLEGE, JODHPUR
8	10	MEGHANA PATHAK	SANTOSH D. PATHAK	F	25.03.1998	GEN	MBS HOSPITAL KOTA
9	11	RAJESH KUMAR JATOLIA	RAMESHWAR LAL JATOLIA	M	24.07.1988	SC	PSYCHIATRISTS CENTER JAIPUR
10	12	ANU MEENA	LAL CHAND MEENA	F	20.12.1991	ST	S.M.S. MEDICAL COLLEGE JAIPUR
11	13	KIRAN MEENA	LAL CHAND MEENA	F	26.07.1989	ST	S.M.S. MEDICAL COLLEGE JAIPUR
12	14	LOKESH	M.L.MEENA	M	06.01.1988	ST	S K HOSPITAL SIKAR
13	15	LUVLEEN VERMA	MADAN KUMAR VERMA	F	16.11.1995	OBC	R R C JAIPUR

RajKaj Ref 6110161

14	17	MANISH BHARDWAJ	SATISH BHARDWAJ	M	03.03.1987	EWS	PSYCHIATRISTS CENTER JAIPUR
15	19	KISHAN LAL BAIRWA	MOHAN LAL BAIRAW	M	28.07.1986	SC	MBS HOSPITAL KOTA
16	20	JYOTI RAJORIYA	BIHARI LAL RAJORIYA	F	06.06.1988	SC	R R C JAIPUR
17	21	MUKESH KUMAR GORA	PRAHALAD JAT	M	15.07.1997	OBC	J.L.N. HOSPITAL AJMER
18	22	DINESH KUMAR	DAYAL RAM	M	25.11.1996	OBC	DR. S.N. MEDICAL COLLEGE, JODHPUR
19	23	NIRANJAN LAL BAIRAW	CHIRANJI LAL BAIRAW	M	08.07.1985	SC	R.B.M HOSPITAL BHARATPUR
20	24	LALCHAND CHOUDHARY	MANNA LAL JAT	M	04.02.1999	OBC	AMRIT KAUR HOSPITAL BEAWAR
21	25	BHAGYALAXMI CHOUHAN	ISHWAR CHAND SAINI	F	19.01.1993	OBC	PBM HOSPITAL BIKANER
22	26	ASHUTOSH RAJORIA	RAMAVTAR RAJORIA	M	21.06.1997	SC	S M S HOSPITAL JAIPUR
23	27	SINGHA RAM	PHOOLA RAM GURJAR	M	01.02.1982	MBC	R R C JAIPUR

उक्त पदस्थापन निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन जारी किये जा रहे है :—

1. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही पद की नियमित पे मैट्रिक्स के लेवल 11 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अध्ययधीन पेंशन नियम लागू होंगे।
3. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके सैकेण्ड्री/सीनियर हायर सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि से संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।
4. दिनांक 1.6.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।
5. अभ्यर्थियों द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभागीय वेबसाईट(www.rajswasthya.nic.in) से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है।
6. उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के सम्मुख **स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों** की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होगे। सभी छाया प्रति स्वंय द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगा।
7. **उक्त चयनित अभ्यर्थियों को कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प0 1 (1) कार्मिक/(क–2)/2016/ दिनांक 15.07.2016 के अनुरूप चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।**

RajKaj Ref 6110161

E:\Yadav 2020-2021\L T\LT Bharti-2020

8. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में से किसी के भी फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।
9. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्याधीन है।
10. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः विवाह पंजियन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त की जावेगी। यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा विवाह पंजीयन नही करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नही माने जावेगें। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प015(1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.05.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
12. विभागीय कर्मचारी/संविदा पर कार्यरत कर्मी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देगें।
13. नवनियुक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में अग्रिम पदस्थापन हेतु रिक्त पदों की सूचना सहित निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
14. उक्त अभ्यर्थियों को **दिनांक** 28/03/2024 तक संबंधित अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–33/ऑक्यू थे0/सीधी भर्ती/एफ–एम–76/2024/108 दिनांकः 14/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ 7 (12) भर्ती 'ख'/Occu.Thei/Med & Health/2021-22/635 दिनांक 27.02.2024 के संदर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक(प्रशा0) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राज. जयपुर।
6. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज।
7. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
8. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
9. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. उप अधीक्षक मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
11. उप निदेशक, पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर।
12. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
13. अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर।
14. संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर लेख हैं आपके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों से संबंधित मूल आवेदन पत्र की छाया प्रति एवं संलग्न दस्तावेज आदि विशेष वाहक को भिजवाकर निदेशालय से प्राप्त करें एवं समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थियों को उनके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करावें :–

(i) अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

RajKaj Ref 6170161

(ii) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने के पश्चात ही प्रार्थी के मूल दस्तावेज लौटावें।

(iii) अभ्यर्थियो का जिस जाति वर्ग (ओबीसी/एमबीसी/एसटी/एससी टीएसपी/एसटी टीएसपी/सहरिया/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) में चयन हुआ है उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथि को वैध मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(iv) विधवा, विकलांग के प्रमाण पत्र एवं विवाह विच्छिन्न (Divorced) अभ्यर्थी को विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सक्षम स्तर के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(v) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vi) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं कार्यग्रहण नही करावें।

(vii) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

15. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करें।
16. चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता हैं कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।
17. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6110161

E:\Yadav 2020-2021\L T\LT Bharti-2020

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma I
Designation : Director
Date :14-03-2024 10:04:50